भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 660

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता</u>

660. श्री जयन्त बसुमतारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोत और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में लगभग 129 गीगावॉट की क्षमता की तुलना में केवल लगभग 4-5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ही संस्थापित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नीतिगत अनिश्चितता और राज्य स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को वापस लेने से असम में निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित लक्षित उपायों का ब्यौरा क्या है तथा संभाव्यता और संस्थापित क्षमता के बीच के अंतर को पाटने के लिए भंडारण समाधानों, लघु जल विद्युत संवर्धन अथवा विशेष प्रोत्साहनों हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्रोत और राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, अनुमानित संभाव्यता तथा स्थापित क्षमता का विवरण **अनुलग्क-I** में दिया गया है। क्षमता के कम उपयोग के लिए कारणों में अन्य राज्यों की तुलना में कम तीव्र सौर विकिरण, पर्वतीय और असमान भूभाग/वन भूमि जैसी भौगोलिक बाधाओं, कार्य करने की कम ऋतु, बिजली की कम मांग, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बढ़ी हुई

लागत में योगदान और पहुंच को कठिन बना सकते हैं, जिससे अवसंरचना विकास जटिल और महंगा हो सकता है।

(ग) असम सरकार द्वारा निम्नलिखित दो नीतियों को अधिसूचित किया गया है और वे पहले से ही लागू हैं:

i. असम सौर विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025
ii. असम पंप्ड स्टोरेज विद्युत उत्पादन संवर्धन नीति 2025

ये नीतियां निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र तैयार कर सकी हैं, जिससे असम के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया जा रहा है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में संभाव्यता और स्थापित क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए भंडारण समाधानों, लघु जल विद्युत को बढ़ावा अथवा विशेष प्रोत्साहनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित लक्षित उपायों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता' के संदर्भ में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा पूछा गया दिनांक 22.07.2026 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 660 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्रोत वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का विवरण (मिलियन यूनिट में):

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सौर	लघु जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	बड़ी जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत सहित कुल आरई
2025-26	अरुणाचल प्रदेश	2.37	0.34	0.00	2.70	4854.46	4857.16
	असम	330.12	139.39	0.59	470.09	1424.54	1894.63
	मणिपुर	8.60	0.00	0.00	8.60	576.01	584.61
	मेघालय	0.00	159.90	0.00	159.90	879.22	1039.12
	मिजोरम	29.31	25.51	0.00	54.82	263.98	318.80
	नगालैंड	0.00	97.90	0.00	97.90	228.33	326.23
	त्रिपुरा	8.97	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97
	उप कुल	**379.36**	**423.03**	**0.59**	**802.98**	**8226.54**	**9029.52**
2026-27(मई-26 तक)	अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.01	0.00	0.15	1560.04	1560.19
	असम	65.30	22.85	0.14	88.29	138.98	227.27
	मणिपुर	1.43	0.00	0.00	1.43	52.79	54.22
	मेघालय	0.00	29.85	0.00	29.85	119.87	149.72
	मिजोरम	6.67	2.87	0.00	9.54	8.72	18.26
	नगालैंड	0.00	5.82	0.00	5.82	15.83	21.65
	त्रिपुरा	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91
	उप कुल	**74.45**	**61.40**	**0.14**	**135.99**	**1896.23**	**2032.22**

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्रोत तथा राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्ता (मेगावाट में):

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत	पवन विद्युत	लघु जल विद्युत	बायोमास विद्युत	अपिशिष्ट से विद्युत	बड़ी जल विद्युत	कुल आरई
1	अरुणाचल प्रदेश	8650	207.60	2064.92	18.46	0.00	50064	61004.98
2	असम	13760	29.00	201.99	321.89	8.00	650	14970.88
3	मणिपुर	10630	6.40	99.95	62.31	2.00	1761	12561.66
4	मेघालय	5860	40.00	230.05	68.54	2.00	2298	8498.59
5	मिजोरम	9090	0.00	168.90	2.90	2.00	2131	11394.80
6	नगालैंड	7290	0.00	182.18	53.90	0.00	1452	8978.08
7	सिक्किम	4940	88.30	266.64	4.73	0.00	4248	9547.67
8	त्रिपुरा	2080	0.00	46.86	34.35	2.00	0.00	2163.21
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	**62300**	**371.30**	**3261.49**	**567.08**	**16.00**	**62604**	**129119.87**

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार मेगावाट में स्रोत और राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत	लघु जल विद्युत	जैव विद्युत	बड़ी जल विद्युत	कुल आरई क्षमता
1	अरुणाचल प्रदेश	15.72	140.61	0.00	2115.00	2271.33
2	असम	687.90	34.11	8.00	346.00	1076.01
3	मणिपुर	17.56	5.45	0.00	105.00	128.01
4	मेघालय	4.28	55.03	13.80	322.00	395.11
5	मिजोरम	34.40	45.47	0.00	60.00	139.87
6	नगालैंड	3.68	35.07	0.00	75.00	113.75
7	सिक्किम	7.56	55.11	0.00	2282.00	2344.67
8	त्रिपुरा	42.62	16.01	0.00	00	58.63
	कुल (MW)	**813.72**	**386.86**	**21.80**	**5305.00**	**6527.38**

अनुलग्नक-II

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता' के संदर्भ में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा पूछा गया दिनांक 22.07.2026 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 660 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

प्रस्तावित लक्षित उपायों और भंडारण समाधानों, लघु जल विद्युत संवर्धन अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में संभाव्यता और संस्थापित क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

- "वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना" में 1 से 25 मेगावाट क्षमता की नई लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं की स्थापना के लिए सीईआरसी मानक लागत या परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की उच्च केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) रखी गई है, जबकि अन्य स्थानों के लिए यह 20 प्रतिशत है। नई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) भी नई एसएचपी परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी पाइपलाइन तैयार करने के लिए रखी जाती है।
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, आवासीय क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए पहले 2 kWp के लिए 33000 रुपये प्रति किलोवाट की 10% अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और तीसरे kWp के लिए 19,800 रुपये रखी गई है। इसके अलावा, समूह आवासीय सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) आदि के लिए, 500 kWp (3 केडब्ल्यूपी प्रति घर की दर से) तक ईवी चार्जिंग सहित सामान्य सुविधाओं के लिए सीएफए को 19,800 रुपये/ kWp के रूप में रखा गया है।
- पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख और घटक-ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण) के तहत, 7.5 एचपी क्षमता तक के कृषि पंपों को स्थापित करने/सौरीकृत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और द्वीपों (अन्य स्थानों के लिए 30% की तुलना में) के लिए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50% रखा गया है। घटक ग के तहत कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों/पहाड़ी क्षेत्रों/द्वीप के लिए 1.75 करोड़ रुपये/मेगावाट का सीएफए (अन्य स्थानों के लिए 1.05 करोड़ रुपये/मेगावाट की तुलना में) प्रदान किया जाता है।
- प्रधान मंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना, लघु जल विद्युत विकास योजना (1 से 25 मेगावाट) शुरू की गई।
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम अन्य स्थानों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 प्रतिशत अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस/विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करता है।

- सौर पार्क योजना के तहत, मंत्रालय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 25 लाख रुपये तक और प्रति मेगावाट 20 लाख रुपये (या परियोजना लागत का 30%) तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। मिजोरम में 20 मेगावाट की सौर पार्क परियोजना शुरू कर दी गई है।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) को लगाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भंडारण प्रणालियों को औपचारिक **कानूनी दर्जा** प्रदान किया है और व्यापक **खरीद दिशानिर्देश** स्थापित किए हैं। प्रमुख प्रोत्साहनों में जून 2028 तक शुरू की गई विशिष्ट सह-स्थापित परियोजनाओं के लिए 100% छूट के साथ 12 वर्षों तक के लिए **अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ** करना शामिल है- साथ ही भविष्य की निविदाओं में सौर परियोजना क्षमता के कम से कम 10% के बराबर भंडारण क्षमता को एकीकृत करने की सिफारिशें भी शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बीईएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर की तकनीकी आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए नए **सुरक्षा और निर्माण मानकों** को लागू किया है।
